

दिनाँक 25.08.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना खमरिया पुलिस द्वारा, 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25/08/2023 को 02 नफर वारंटी अभियुक्तों 1. कृपाशंकर एंव 2. मनोज कुमार को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- <u>1. कृपाशंकर पुत्र अच्छेलाल नि० म</u>हरिया थाना खमरिया जनपद खीरी (वारंट वाद संख्या 1022/22 धारा 128 सीआरपीसी)
- 2. मनोज कुमार पुत्र विशम्भर दयाल नि० गोविन्द शुगर मिल ऐरा थाना खमरिया जनपद खीरी (वारंट वाद संख्या 35/93 एसटी नं० 3622/17 धारा 325/324/506 भा0द0वि० थाना ईसानगर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. उ०नि० सुनील बाबू अवस्थी
- 2. का० रविन्द्र कुमार
- 3 का0 अरविन्द्र गौतम

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, 10,000 रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त मलकीत सिंह को अवैध तमंचा-कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 147/23 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/413/414 भादवि में वांछित 10,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त मलकीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी ग्राम दीपनगर मजरे कड़िया थाना तिकुनिया जनपद खीरी को एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर सिंहत वीर बाबा मन्दिर ग्राम गुलिरया पत्थर शाह के पास से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अवैध तमंचा-कारतूस की बरामदगी के संबंध में थाना तिकुनिया पर मु0अ0सं0 176/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मलकीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी ग्राम दीपनगर मजरे कड़िया थाना तिकुनिया जनपद खीरी

<u>बरामदगी -</u>

एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास -

- 1.मु०अ०सं० 176/23 धारा ३/२५ आयुध अधिनियम, थाना तिकुनिया जनपद खीरी
- 2.मु०अ०सं० १४७/२३ धारा ४१/१०२ सीआरपीसी व ४११/४१३/४१४ भादवि, थाना तिकुनिया जनपद खीरी
- 3.मु०अ०सं० २०/२३ धारा ३७१ भादवि थाना पढुआ, जनपद खीरी
- 4.मुं०अ०सं० १२९/२३ धारा ३७९ भादवि, थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी
- 5.मुं०अ०सं० ६८१/२३ धारा ३७१ भादवि, थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. प्र0नि0 निर्भय कुमार सिंह
- 2. उ०नि० अभिषेक कुमार
- 3. हे0 का0 सुभाष निषाद
- 4. का० हरिकेश सिंह
- 5. का० विवेक कुमार
- 6. का० सोविन्द्र सिंह

थाना निघासन पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा मु०अ०सं० 744/22 धारा 302/34/376DA/323/452/363/201 भादवि व 5g/6 पॉक्सो एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त किशोर अपचारी को आजीवन कारावास व 46.000 रुपये अर्थदण्ड की सजा

पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान " ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत थाना निघासन पर दिनांक 15.09.2022 को पंजीकृत मु0अ0सं0-744/22 धारा 302/323/452/376DA/364/201/34 भादिव व 5g/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5)/3(2)(5a) एससी एसटी एक्ट में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित साक्ष्य के आधार पर मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो कोर्ट जनपद खीरी द्वारा किशोर अपचारी को अंतर्गत धारा 302/34/376DA/323/452/363/201 भादिव व 5g/6 पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास एवं कुल योग अर्थदण्ड 46000/- रुपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.09.2022 को थाना निघासन पर पंजीकृत मु०अ०सं० 744/22 धारा 302/323/452/376DA/364/201/34 भादिव व 5g/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5)/3(2)(5a) एससी एसटी एक्ट बनाम 1. छोटू उर्फ सुनील पुत्र चेतराम गौतम नि० तमुलिनपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी 2. जुनैद पुत्र इसराइल 3. करीमुद्दीन उर्फ डीडी पुत्र कलामुद्दी 4. आरिफ उर्फ छोटे अंसारी पुत्र अंजिले अंसारी 5.एक नफर किशोर अपचारी 6.एक नफर बाल अपचारी नि०गण लालपुर थाना निघासन जनपद खीरी के विरुद्ध 14 दिवस के अंदर विवेचना से दिनांक 28.09.2022 को सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11/पॉक्सो कोर्ट जनपद खीरी में दाखिल किया गया था। इस अभियोग की माननीय न्यायालय में विशेष रूप से सघन पैरवी कराते हुये 01 वर्ष के अन्दर अभियुक्तों को दोष सिद्ध कराया गया। एक नफर बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड खीरी में समस्त न्यायिक कार्यवाही पूर्ण हो गयी है फैसला सुनाया जाना शेष है। आज मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त किशोर अपचारी को माननीय न्या0 अपर जिला एवं न्यायधीश 11/विशेष न्यायालय पाक्शो कोर्ट जनपद खीरी द्वारा फैसला सुनाया गया है।

दोष सिद्ध किशोर अपचारी की सजा का विवरण-

धारा जिसके अंतर्गत सजा/दोष सिद्ध हुआ	सुनाई गई सजा का विवरण
धारा 302/34/376DA/323/452/363/201 भादवि व 5g/6 पॉक्सो एक्ट	आजीवन कारावास एवं कुल योग अर्थदण्ड ४६०००/-रुपये

थाना पसगवाँ पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25/08/2023 को थाना पसगवाँ पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त राममूर्ति पुत्र लालजीत पंडित निवासी ग्राम जमुका (भोगीपुर मनी) थाना पसगवाँ जनपद खीरी सम्बन्धित वाद संख्या 2737/21 अ०सं० 157/95 तारीख पेशी 25.08.2023 एक किता वारंट मा० ए०सी०जे०एम० कोर्ट नं० 3 लखीमपुर खीरी को उसके घर के बाहर बहद ग्राम जमुका थाना पसगवाँ जनपद खीरी से समय करीब 08.30 बजे गिरफ्तार किया गया। वारण्टी राममूर्ति उपरोक्त का चालान मा० न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

राममूर्ति पुत्र लालजीत पंडित निवासी ग्राम जमुका (भोगीपुर मनी) थाना पसगवाँ जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. उ०नि० बलिराम यादव
- 2. का० शाहरूख खान

ए०एच०टी०यू० खीरी द्वारा कवच योजना के तहत जनपद खीरी के विभिन्न जगहों पर थाना पलिया, गौरीफंण्टा, चंदनचौकी क्षेत्र में मानव तस्करी, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति, जन जागरूकता अभियान









दिनांक 24.08.2023 को जनपद लखीमपुर खीरी के थाना पिलया में पूज्य ठक्कर बाबा आश्रम, थाना गौरीफण्टा ग्राम सभा बनकटी, थाना चंदनचौकी गोबरौला में जन जागरूकता अभियान किया गया अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी, श्री नैपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण में ए०एच०टी०यू० से प्रभारी निरीक्षक श्री जैनेन्द्र कुमार ,मुख्य आरक्षी राजेश कुमार मय ए०एच०टी०यू०, थाना गौरीफण्टा से उपनिरीक्षक विनोद कुमार अवस्थी, हेड कांस्टेबल देवदत्त गोस्वामी, यूनिसेफ से श्री दिनेश कुमार चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, श्रीमती रीजा फाइनेंस ऑफिसर यूनिसेफ लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री अनिल कुमार द्विवेदी मंडली सलाहकार यूनिसेफ, श्रीमती गीता देवी सीडीपीओ और उत्तर प्रदेश बनवासी सेवा संस्थान पिलया की संयुक्त टीम द्वारा संस्था एवं ग्राम सभा के सभी सम्मानित व्यक्तियों एवं महिलाओं के साथ मानव तस्करी, बालश्रम, बाल भिक्षावित्त ,बालविवाह के विषय में चर्चा की गई एवं उन्हें जागरूक किया गया।

<u>"मिशन शक्ति" अभियान के अंतर्गत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, जागरुकता एवं सामुदायिक पहुँच हेतु</u> गोष्ठी का आयोजन



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में "मिशन शिक्त" अभियान के अन्तर्गत मिहलाओं/बालिकाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीड़न की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद खीरी के समस्त थानों पर गठित एन्टीरोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों/कस्बों/बस अड्डा/सार्वजिनक स्थानों/प्रमुख चौराहों/प्रमुख बाजारों/मिन्दिर/शिवालयों/शापिंग मॉल आदि के आस-पास गश्त/चेिकंग करते हुए मिहलाओं व बालिकाओं को आत्मसुरक्षा के लिये जागरुक किया जा रहा है तथा उनकी सुरक्षा के सम्बंध में वार्ता कर संदिग्धों की चेिकंग कर आवश्यक हिदायत जा रही है। साथ ही समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत गांव, कस्बों एवं सार्वजिनक स्थानों, मिशन शिक्त कक्ष पर बालिकाओं/मिहलाओं की गोष्ठी करके उच्चाधिकारियों के नम्बर व नारी सुरक्षा/मिशन शिक्त अभियान के तहत विभिन्न हेल्प लाइन नम्बर वीमेन पावर लाइन 1090, मिहला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 व साइबर हेलपलाइन 1930 तथा थानों के सीयूजी नम्बर आदि के बारें में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर बिना कारण घूमने वाले लड़कों/शोहदों की चेिकंग की जा रही है तथा शपथ पत्र भरवाये जा रहे हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक 25.08.2023 को थाना फरधान, थाना नीमगांव, थाना खीरी, थाना ईसानगर, थाना मोहम्मदी, थाना तिकुनिया सिहत विभिन्न थानों द्वारा क्षेत्र में मिहलाओं/बालिकाओं की गोष्ठी करके उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्गत मिशन शिक्त अभियान से संबंधित आदेश-निर्देश से अवगत कराया गया तथा साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स एवं जरूरी सूचनाओं, कल्याणकारी योजनाओं एवं सुरक्षा संबंधी जानकारियों सिहत बुकलेट/पम्पलेट भी वितरित किया गया।

थाना खमरिया पुलिस द्वारा, 01 अवैध चाकू बरामद करके अभियुक्त जगदीश पुत्र झब्बू को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों की निर्माण, बिक्री,परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खमिरया पुलिस द्वारा अभियुक्त जगदीश पुत्र झब्बू निवासी नई बस्ती गहिरयां थाना खमिरया जनपद खीरी 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना खमिरया पर मु0अ0सं0 165/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त निर्मल बेहलिया पुत्र रामबाबू को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यविक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों की निर्माण, बिक्री,परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त निर्मल बेहलिया पुत्र रामबाबू निवासी महेशगंज थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 803/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

- 1- थाना निघासन पुलिस द्वारा, मु०अ०सं० 502/23 धारा 354D/294 भादवि व 7/8 पॉक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त सौरभ पुत्र रामखलावन निवासी अमीरखांपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 2-थाना खमरिया पुलिस द्वारा, अ०सं० ३६२१/१७ धारा ३२५/३२४/५०६ भादवि में वारंटी अभियुक्त मनोज पुत्र विशमहापाल निवासी गोविन्द्र शुगर मिल ऐरा थाना खमरिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 3- थाना पलिया पुलिस द्वारा, अ०सं० २१७७/१९ धारा १४७/३२३/४५२/५०६ भादवि में वारंटी अभियुक्त सौरभ गुप्ता पुत्र पन्ना लाल निवासी मो० पठान प्रथम थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 4- थाना पलिया पुलिस द्वारा, अ०सं० 5630/09 धारा 20/26/61 वन अधिनियम में वारंटी अभियुक्त मुकेश पुत्र जितेन्द्र निवासी मो0 बजार थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 267 लीटर अवैध शराब बरामद कर 11</u> <u>अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 267 लीटर अवैध कच्ची शराब व 03 शराब भट्टी बरामद कर 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 11 अभियोग पंजीकृत किए गए।